

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2013/I | 42060/2015

दिनांक: - 3-12-2015

परिपत्र

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत प्रतिस्थापित किये गये राज्य नियम, 2000 के तहत किया जाता है। भारत सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सर्वव्यापी बनाने हेतु 'विजन 2020' निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2020 तक जन्म के पंजीकरण स्तर को शत प्रतिशत करना, सभी पंजीकरण हुए जन्म हेतु विधिक जन्म प्रमाण पत्र जारी करना तथा सभी संस्थागत मृत्यु को पंजीकृत करना रखा गया है।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के 46 वर्षों के पश्चात् भी भारत आज इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में क्रमशः 16 और 30 प्रतिशत मामलों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। आदर्श रूप से देखा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के जीवन का पहला आधिकारिक दस्तावेज होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का जीवन समाप्त होने का प्रमाण पत्र होता है। जन्म और मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेज होती हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा, 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु, जैसा भी मामला हो, के सन्दर्भ में सिष्कर्षी (अन्तिम) साक्ष्य होती हैं। इन प्रविष्टियों के आधार पर आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 12 और 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु सम्बन्धी उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं तथा ये उस प्रविष्टि से सम्बन्धित व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु को प्रमाणित करने के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र विधिक दस्तावेज होता है।


भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'विजन 2020' की घोषणा के अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के परिपत्र संख्या 1/12/2014-वीएस(सीआरएस) दिनांक 31.07.2015 के द्वारा अपेक्षा की गई है कि आपके कार्यालय द्वारा जनता को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ा जाना चाहिए जिससे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का राष्ट्रीय स्तर स्वतः ही सम्पूर्ण पंजीकरण की ओर बढ़ेगा।

अतः अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न सेवाओं/योजनाओं में जहां जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हो, उन मामलों में केवल जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र को ही प्रमाणित साक्ष्य स्वीकार करने के निर्देश प्रसारित किये जावें:-

1. मातृत्व लाभ योजनाएं और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)।
2. टीकाकरण कार्ड में जन्म का पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं को दर्शाने वाले कालम को शामिल करना।
3. स्कूल में प्रवेश।




4. राशन कार्ड /परिवार रजिस्टर में बच्चे का नाम शामिल करना।
5. सरकारी और गैर सरकारी सेवा में प्रविष्टि और सेवा पुस्तिका का रखरखाव।
6. मतदाता सूची/रोजगार कार्यालय में नाम शामिल करना।
7. पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना।
8. आधार /एनपीआर पंजीकरण।
9. विवाह पंजीयन और तलाक/संबंध विच्छेद प्रकरण में।
10. राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर से नाम हटाना।
11. उत्तराधिकार के मुद्दों के निपटाने के संबंध में।
12. बीमा दावों के निपटाने के संबंध में।
13. परिवारिक पेंशन के निपटाने के संबंध में।

  
(ओम प्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2013/ए|42060|2015 दिनांक:- 3-12-2015  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय-2, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
3. आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मिशन निदेशक, एनआरएचएम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अति. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर, जिला .....
8. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, प्राथमिक /माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. अतिरिक्त आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोगता मामलात, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, रोजगार एवं नियोजन विभाग दरबार स्कूल गोपिनाथ मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक, विशेष योग्य जन, राजस्थान, जयपुर।
16. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम .....
18. समस्त क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी जिला .....
19. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला .....
20. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला.....
21. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला .....

  
उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं  
उप निदेशक (जीवनांक)

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/3/जेपीआर/वीएस/डीईएस/2015/I/54034/2016

दिनांक: - 21/7/2016


परिपत्र

भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 4(3) के तहत राज्य के मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अधिनियम की पालना हेतु कार्यकारी शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। अतः इन शक्तियों के अनुसरण में राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभाग/संस्था द्वारा जारी जनहित योजनाओं में लाभार्थियों/नागरिकों के वैधानिक चिन्हिकरण में इस अधिनियम के तहत जारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार करें एवं इस हेतु विभाग के सभी नियमों/प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे, क्योंकि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र विधिक रूप से निष्कर्षी (अन्तिम) दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा की गई प्रगति जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 की पालना कराने में मददगार होगी जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को अधिनियम के द्वारा कानूनी कर्तव्य तय किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अपने परिपत्र संख्या 1/12/2014-वीएस(सीआरएस) दिनांक 31 जुलाई, 2015 (प्रति संलग्न) के द्वारा राज्य को दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं तथा राज्य के लिए वर्ष 2020 तक शत प्रतिशत जन्म पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा राज्य में जनता को उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की उपलब्धता से जोड़ने के संबंध में दिनांक 03.12.2015 को परिपत्र (प्रति संलग्न) जारी किया गया है। अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न सेवाओं/योजनाओं में जहाँ जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हो, उन मामलों में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र को ही प्रमाणित साक्ष्य स्वीकार करने के निर्देश प्रसारित किये जावें।

इस सम्बन्ध में राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें, ताकि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की पालना में हुई प्रगति से अवगत कराया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(ओम प्रकाश बैरवा)


मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/3/जेपीआर/वीएस/डीईएस/2015/I/54034/2016

दिनांक:- 21/7/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.....
2. आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप. महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-प्रथम, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066।
5. विभागाध्यक्ष, .....
6. जिला कलेक्टर, जिला.....

  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

# Introduction

The first part of the document discusses the importance of understanding the context of the data being analyzed. This includes identifying the source of the data, the time period covered, and the specific variables being measured. It is crucial to ensure that the data is representative and free from bias.

Next, the document outlines the methodology used for data collection and analysis. This involves describing the sampling techniques, the instruments used, and the statistical methods applied. Transparency in methodology is essential for the reproducibility and validity of the findings.

The results section presents the key findings of the study, supported by statistical evidence. It is important to interpret these results in the context of the research objectives and to acknowledge any limitations or uncertainties. The discussion then explores the implications of the findings and suggests areas for further research.

Finally, the document concludes with a summary of the main points and a final statement on the significance of the work. The overall goal is to provide a clear and concise overview of the research project and its contributions to the field.

The second part of the document provides a detailed analysis of the data. This includes a thorough examination of the distribution of the variables, the relationships between them, and the results of the statistical tests. The analysis is presented in a structured and logical manner, allowing the reader to follow the reasoning and understand the evidence.

The third part of the document discusses the implications of the findings. This involves considering the broader context of the research and the potential impact of the results. It is important to highlight the strengths and limitations of the study and to provide a clear and concise summary of the main findings.

The final part of the document is a conclusion that summarizes the key points and provides a final statement on the significance of the work. This section should be clear, concise, and easy to read, providing a clear and concise overview of the research project and its contributions to the field.